UPLK010029982026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

दाण्डिक अपील सं०-71/2026

इन्द्रजीत कुमार **बनाम** उ०प्र० राज्य

दिनांक-10.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बी-7 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी द्वारा दाण्डिक अपील संस्थित की गयी है, जबकि मामले में सिविल अपील संस्थित की जानी चाहिये थी, जिसके अनुक्रम में अपील में संशोधन की आवश्यकता है। अतः प्रस्तुत अपील में दाण्डिक अपील के स्थान पर सिविल अपील किये जाने,अपील मेमो में शब्द "क्रिमिनल" को डिलीट करने व "सिविल अपील" लिखे जाने विषयक संशोधन की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील विद्वान अपर जिलाधिकारी, नगर(पूर्वी), लखनऊ द्वारा वाद सं०-3251/2024 सरकार बनाम रमेश कुमार आदि अन्तर्गत धारा 72 उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 में पारित आदेश दिनांकित 11.11.2025 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से अपीलार्थी का वाहन डीसीएम बी.आर 01 जी.एन. 3320 को जब्त किया गया है। उक्त अपील दिनांक 20.02.2026 को दाण्डिक अपील के रूप में अंगीकृत व पंजीकृत हुयी है तथा दिनांक 30.04.2026 को अपीलार्थी को प्रकरण में सिविल अपील अथवा दाण्डिक अपील पोषणीय होने के सम्बंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त के अनुक्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के माध्यम से संशोधन चाहा गया है एवं यह कथन किया गया है कि प्रकरण में सिविल अपील योजित की जानी चाहिये थी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **CRIMINAL REVISION No.-5298 of 2011 Jai Singh Vs State Of U.P. & Another** में यह अवधारित किया गया है कि-

> It is noteworthy that for the purpose of section 72(7) of U.P. Excise Act vide Notification No.4986 (E)/XIII-517 dated June 4th, 1978 of आबकारी अनुभाग, appellate judicial authority appointed by the State Government is "District Judge" and an appeal should be regarded as Civil Appeal (not Criminal) and is required to be decided by the District Judge himself.
>
> In view of the Government Notification mentioned above, the confiscation proceedings which though arises out of criminal proceedings, upon seizure of illicit liquour etc. and the vehicle

> regarding the same may be confiscated by the Collector, but the appeal against such order is to be filed before the "District Judge" and has to be treated as Civil Appeal. The Code of Criminal Procedure used the word "Sessions Judge" but instead of those words, in the Government Notification issued under section 72 (7) of the U.P. Excise Act, 1910 mentioned above, the word "District Judge" has been used at the time of constituting the appellate authority and so it may not be confused with or treated to be synonymous of "Sessions Judge" as in the subordinate courts District and Sessions Judges do exercise their power of civil and criminal in deciding in the civil and criminal cases as "District Judge" and "Sessions judge", respectively.

इस प्रकार प्रस्तुत मामले में दाण्डिक अपील नहीं अपितु सिविल अपील पोषणीय है तथा उक्त के सम्बंध में ही अपीलार्थी द्वारा यह संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बी-7 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी प्रार्थनापत्र बी-7 के आलोक में वांछित संशोधन अन्दर सप्ताह सुनिश्चित करे। बाद संशोधन प्रस्तुत दाण्डिक अपील, **प्रकीर्ण सिविल अपील** के रूप में पंजीकृत हो।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक **05.08.2026** को वास्ते सुनवाई पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.07.16 18:44:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court